न्यायालय मान॰

R. 3411-

1— घनश्याम दास आ0 नन्नूलाल
जाति अग्रवाल नि0— 47 सी वैभव नगर
अनाडिया रोड इन्दौर
द्वारा:— मुख्तारआम चन्द्रमोहन अग्रवाल
पुत्र श्री नन्नूलाल नि0—खरी फाटक विदिशा

2— चन्द्रमोहन अग्रवाल पुत्र श्री नन्नूलाल
नि0—खरी फाटक विदिशा ....आवेदकगण

विरूद्ध

1— राम कुमार अग्रवाल आ0 श्री नन्नूलाल
अग्रवाल नि0—15 खरी फाटक विदिशा

2— श्रीमति पुष्पा मोती पत्नि कैलाशचन्द्र मोती
नि0—मोती मेडिकल हाल मैन रोड सीहोर

3— श्रीमति सुशीला देवी पत्नि रमेश चन्द्र
अग्रवाल नि0— 33 ओमशांति नगर
झाँसी उत्तर प्रदेश म0प्र0 ....अनावेदकगण

मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय

आवेदकगण की ओर से विद्वान तहसीलदार तहसील विदिशा के द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमॉक—6/अ—27/12—13 में पारित आदेश दिनांक—17—09—14 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है ।

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, कि आवेदकगण ने अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (आगे से जिसे केवल अधिनियम) कहा जावेगा की धारा—178 के अन्तर्गत बटवारा आवेदन प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया की प्रार्थी को उसके हिस्से एवं मौके पर कब्जानुसार बंटवारा करके प्रथक खाता बनाये जाने के आदेश दिये जावे।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3411–एक/14

जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–5–16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार, विदिशा के द्वारा प्रकरण कमांक 6/अ–27/12–13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17–9–14 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने आवेदक की आपत्ति को निरस्त किया है । 2/ आवेदक के अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । अनावेदक कमांक 1 के अधिवक्ता को लिखित तर्क हेतु 7 दिवस का समय दिया गया था परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । शेष अनावेदकगण एकपक्षीय हैं । 3/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण संहिता की धारा 178 का है । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक की आपत्ति के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रकरण 19–3–13 से प्रचलित है जिसमें आपत्तिकर्ता विधिवत पक्षकार है परंतु उसने आपत्ति नहीं की और तहसीलदार ने प्रकरण को अनावश्यक विलंबित करना माना है । इसके उपरांत भी उन्होंने यह निर्देश दिए हैं कि अनावेदक/आपत्तिकर्ता (इस न्यायालय में आवेदक) की उपस्थिति में पटवारी पुनः मौका/स्वत्व मुताबिक फर्द तैयार कर पेश करें । तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । अतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारों द्वारा व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन आदेश इत्यादि कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किया जाता है तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रकरण का निराकरण विधिवत किया जाये । सदस्य	